रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255080
CG-DL-E-02072024-255080

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2395] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/आषाढ 11, 1946
No. 2395] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ASHADHA 11, 1946

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2024

का.आ. 2525(अ).—जबकि मेसर्स एनएचपीसी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003, हरियाणा, भारत में स्थित है, ने **"जिला बीकानेर , राजस्थान में एनएचपीसी लिमिटेड के 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए मेसर्स एनएचपीसी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम"** में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की सथापना के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/40/2023-PG दिनांकित 09.11.2023 के द्वारा "**जिला बीकानेर, राजस्थान में एनएचपीसी लिमिटेड के 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए मेसर्स एनएचपीसी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम**" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एनएचपीसी लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 22.11.2023, दैनिक भास्कर (हिंदी में) दिनांक 24.11.2023, राष्ट्रदूत (हिंदी में) दिनांक 22.11.2023 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 23.12.2023 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के

भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स एनएचपीसी लिमिटेड ने 10.06.2024 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "**जिला बीकानेर, राजस्थान में एनएचपीसी लिमिटेड के 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए मेसर्स एनएचपीसी लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम**" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

एनएचपीसी लिमिटेड सौर ऊर्जा परियोजना – बीकानेर-II पीएस 220 केवी एस/सी लाइन डी/सी टॉवर पर।

(रुट की लंबाई लगभग 24 किमी, जिसमें से लगभग 21-22 किमी लाइन डी/सी टावर पर एस/सी लाइन के रूप में लागू की जाएगी और बीकानेर-II पीएस छोर से शेष 2-3 किमी लाइन एम/सी टावरों पर एस/सी लाइन के रूप में लागू की जाएगी)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गॉवों के नाम	**तालुक**	**जिला**
करणीसर, बरजू, बराला, दीनसर, बांदेरेवाला, भानीपुरा	पूगल	बीकानेर
मेहरासर, कावनी, शरह जतन, जयमलसर, शरह बोरला	बीकानेर	बीकानेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स एनएचपीसी लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं।

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
vi. मेसर्स एनएचपीसी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइन का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/25/2024-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 1st July, 2024

S.O. 2525(E).—Whereas M/s NHPC Limited, the applicant, with its registered office at NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003, Haryana, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme **"Transmission system for providing connectivity to M/s NHPC Limited for its 300 MW Solar Power Plant in Bikaner District, Rajasthan"**.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter 25-17/40/2023-PG dated 09.11.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme **"Transmission system for providing connectivity to M/s NHPC Limited for its 300 MW Solar Power Plant in Bikaner District, Rajasthan"**.

M/s NHPC Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers: The Indian Express (in English) dated 22.11.2023, Dainik Bhaskar (in Hindi) dated 24.11.2023, Rashtradoot (in Hindi) dated 22.11.2023 and in Weekly Gazette of India dated 23.12.2023 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s NHPC Limited has submitted an affidavit dated 10.06.2024 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of publication in the official Gazette of Government of India and newspaper publications.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric line under the transmission scheme **"Transmission system for providing connectivity to M/s NHPC Limited for its 300 MW Solar Power Plant in Bikaner District, Rajasthan"**. The following overhead line is covered under this scheme:

NHPC Limited Solar Power Project – Bikaner-II PS 220 kV S/c line on D/c tower

(Route Length is approximately 24 km, out of which approximately 21-22 km line will be implemented as S/c line on D/c tower and balance 2-3 km line from Bikaner-II PS end will be implemented as S/c line on M/c towers)

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

Name of Villages	**Taluka**	**District**
Karnisar, Barjoo, Barala, Deensar, Banderewala, Bhanipura	Pugal	Bikaner
Mehrasar, Kawni, Sharah Jatan, Jaimalsar, Sarah Borla	Bikaner	Bikaner

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s NHPC Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s NHPC Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) potential zone (or priority zone), the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/25/2024-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA